

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, रामपुर की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 14.02.2023 को बीसवीं बैठक का

कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, रामपुर की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बीसवीं बैठक दिनांक 14.02.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- | | |
|--|---------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, | - सदस्य |
| 2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) | - सदस्य |
| 3. जिला पंचायत राज अधिकारी | - सदस्य |
| 4. जिला विकास अधिकारी, | - सदस्य |
| 5. प्रभागीय वनाधिकारी | - सदस्य |
| 6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | - सदस्य |
| 7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | - सदस्य |
| 8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई | - सदस्य |
| 9. जिला कृषि अधिकारी, | - सदस्य |
| 10. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)-सदस्य सचिव | |
| 11. कार्यकारी एजेन्सी- | |

1. M/s PNC-SPML (JV) Moradabad के प्रतिनिधि, श्री अंगद पाण्डेय,
2. M/s NKG Primus JV New Delhi के प्रतिनिधि, श्री नरेश माहेश्वरी,
3. M/s OMIL-JWIL (JV) New Delhi-17 के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र सिंह,

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रामपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि :-

जल जीवन मिशन फेस-2 अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु M/s PNC-SPML (JV) Moradabad द्वारा SWSM तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद रामपुर में 03 राजस्व ग्राम हेतु 03 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० प्रस्तुत की गई है।

जल जीवन मिशन फेस-3 अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु M/s OMIL-JWIL (JV) New Delhi-17 को अनुबन्ध सं० 09/ई०डी०/फेस-3/2021-22 दिनांक 07.01.2022 के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त 312 ग्राम पंचायतों के 491 राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। चयनित फर्म द्वारा SWSM तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद रामपुर में 10 राजस्व ग्राम हेतु 03 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० प्रस्तुत की गई है।

समस्त प्रस्तुत डी०पी०आर० को SWSM तथा जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है तथा सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। SWSM द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैंटेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में ही किया गया है।

शासनादेश सं०-51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019, दिनांक-06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। इसके अतिरिक्त शासनादेश 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 ई-फाइल सं०-76-1099/165/2021-1 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 05 अक्टूबर 2021, एवं शासनादेश 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 ई-फाइल सं०-76-1099/165/2021-1 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 सितम्बर 2021 एवं दिनांक 11.08.2022 को सम्पन्न SLSSC की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost जो की रु० 7000.00 से कम है।

अतः उपरोक्तानुसार फर्मों द्वारा प्रस्तुत एवं उ०प्र० जल निगम ग्रामीण के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरान्त उक्त 06 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन रामपुर को इस बैठक में निम्न विवरणानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक-1 के अनुसार है :-

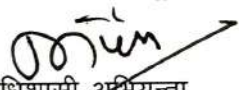
क्र० सं०	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कोस्ट (लाख)	सैटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जल जीवन मिशन फेस-2 के अन्तर्गत M/s PNC-SPML (JV) Moradabad द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० विवरण								
1	Paharpur	Bilaspur	1	266	139.437	14.77	154.21	8415
2	Khamri	Bilaspur	1	133	83.4937	8.84	92.34	9916
3	Nasratnagar	Bilaspur	1	124	74.0334	7.84	81.88	9301
	Total M/s PNC-SPML		3	523	296.964	31.46	328.42	9211
जल जीवन मिशन फेस-3 के अन्तर्गत M/s OMIL-JWIL (JV) New Delhi-17 द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० विवरण								
4	Rafatpur GOV (Pipaliya Mahto) WSS	Bilaspur	3	229	153.21	16.23	169.44	10361
5	Pipaliya Mahto WSS	Bilaspur	2	254	161.95	17.16	179.10	9929
6	Rustampur WSS	Bilaspur	5	285	183.3	19.42	202.72	9989
	Total M/s OMIL Infra		10	768	498.46	52.81	551.26	10093

तृतीय फेस चयनित एजेंसी M/s NKG Primus JV New, Delhi एवं M/s OMIL-JWIL (JV) New Delhi-17 द्वारा बिरचित डी०पी०आर० का आधार वर्ष 2023, मध्य वर्ष 2038 एवं अभिकल्पित वर्ष 2053 की जनसंख्या विगत 5 दशको की जनगणना वर्ष 1971, 1981, 1991, 2001 व 2011 की जनसंख्या के आधार पर CPHEEO Manual में जनसंख्या पूर्वानुमान हेतु दी गयी विभिन्न विधियों में से 5 विधि नामतः Arithmetical Increase Method, Geometrical Increase Method, Incremental Increase method, Simple Graph Method, Semi log Graph Method द्वारा पूर्वानुमानित की गयी जनसंख्या की औसत जनसंख्या के निकट की जनसंख्या ली गयी है।

उपरोक्त समस्त 06 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, रामपुर (DWSM) द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः उक्त 06 नग योजनाओं को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ (SWSM) को प्रेषित करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार फर्मों द्वारा प्रस्तुत एवं उ०प्र० जल निगम ग्रामीण के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति उपरान्त उक्त 06 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन रामपुर को इस बैठक में निम्न विवरणानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक-1 के अनुसार है :-

सादर सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशाली अभियन्ता
(सदस्य सचिव)
नोडल जल जीवन मिशन,
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम
(ग्रामीण), रामपुर।


जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
रामपुर।


प्रभागीय वनाधिकारी
(सदस्य)
रामपुर।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
(सदस्य)
रामपुर।


अधिशाली अभियन्ता
(सदस्य) सिंचाई विभाग,
रामपुर।


जिला पंचायत राज अधिकारी
(सदस्य)
रामपुर।


जिला विकास अधिकारी
(सदस्य)
रामपुर।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रामपुर।


अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
(विशेष आमंत्रित सदस्य)
रामपुर।


मुख्य विकास अधिकारी
(सदस्य) रामपुर।


जिलाधिकारी
(अध्यक्ष) जिला पेयजल एवं
स्वच्छता मिशन, रामपुर।